68

175

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

निगरानी / 160-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA TWENTY RUPEES

1. रामकृपाल सिंह तनय छोटेलाल सिंह उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम पटपरा तह. चुरहट, जिला – सीधी **मुख्तयार आम**– विष्णु बहादुर सिंह तनय जनार्दन सिह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम पटपरा तह. चुरहट, जिला – सीधी (म.प्र.)

– **पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

राघोप्रताप सिंह तनय श्री महीपत सिंह उम 65 साल निवासी ग्राम पटपरा तह. चुरहट, जिला – सीधी (म.प्र)

– **गैर पुनरीक्षणकर्ता**

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता

पुनरीक्षण आदेश दिनांक 29.10.14 आदेश नायब तहसीलदार तह. चुरहट, जिला सीधी के प्रकरण क्र. 45/अ-12/2013 –2014

महोदय,

प्रार्थना पत्र के आधार निम्न हैं :–

1. यहकि गैर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आराजी क्र. 507, 519 का सीमांकन करने हेतु आवेदन पत्र माननीय नायब तहसीलदार न्यायालय चुरहट में प्रस्तुत किया था। जिसमें दिनांक 22.06.2014 को पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया परंतु गैर निगरानीकर्ता द्वारा अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करवाकर दिनांक 22.06.2014 को किये गये सीमांकन को रद्द कर दिया गया और दि. 17.07.14 को पुनः सीमांकन किया गया जिसमें पुनरीक्षण कर्ता की आराजी नं. 520 एवं 518 रकवा क्रमशः 0.100 हे. एवं 0.010 हे. जिसमें मकान बनाकर आबाद है को सीमांकन में दबा दिया गया है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.160-III / 2015 जिला–सीधी

रामकृपाल सिंह / राधो प्रताप सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील चुरहट के प्रकरण क्रमांक 45 / अ–12 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील चुरहट, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	